भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1371

गुरूवार, 28 जुलाई, 2022/6 श्रावण, 1944 (शक)

देश में श्रम बल भागीदारी दर

1371. श्री सुजीत कुमारः
श्री तिरुची शिवाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अत्यधिक कम श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों के शहरी/ग्रामीण-वार और स्त्री-पुरुष-वार आंकड़ो सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इसके पीछे के कारणों और महामारी के कारण श्रम बाज़ार में अवसंरचनात्मक परिवर्तनों पर हुए दुष्प्रभावों की पहचान करने के लिए कोई विशेष और व्यापक अध्ययन कराने की योजना है; और

(घ) सरकार द्वारा एलएफपीआर को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं साथ ही श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर सरकारी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों की वर्ष-वार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	पुरुष	महिला	योग
	ग्रामीण		
2017-18	76.4	24.6	**50.7**
2018-19	76.4	26.4	**51.5**
2019-20	77.9	33.0	**55.5**
2020-21	78.1	36.5	**57.4**
	शहरी		
2017-18	74.5	20.4	**47.6**
2018-19	73.7	20.4	**47.5**
2019-20	74.6	23.3	**49.3**
2020-21	74.6	23.2	**49.1**
	अखिल भारत		
2017-18	75.8	23.3	**49.8**
2018-19	75.5	24.5	**50.2**
2019-20	76.8	30.0	**53.5**
2020-21	77.0	32.5	**54.9**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस आंकड़े सामान्तया श्रम बल भागीदारी दर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी शहरी क्षेत्र के लिए त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान, शहरी श्रम बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अप्रैल-जून, 2020 के दौरान शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर बढ़कर 20.8% हो गई। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 की बाद की तिमाहियों में अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ श्रम बाजार के संकेतकों में तेजी से सुधार दिखाई दिया। शहरी क्षेत्र के लिए पीएलएफएस (जनवरी-मार्च, 2022) की नवीनतम तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, चालू सप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बेरोजगारी दर घटकर 8.2% हो गई जो अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। दिनांक 13.07.2022 तक 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 11 जुलाई, 2022 तक, इस योजना के तहत 30.26 लाख लाभार्थियों को ₹3,615 करोड़ की राशि के 33.34 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए है।

एक विषय के रूप में "श्रम" भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और चार श्रम संहिताओं- वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (आईआर कोड); सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस कोड) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020 (ओएसएच कोड),के तहत, नियम बनाने की शक्ति, यथोचित केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के पास निहित है। चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम बढाते हुए, केंद्र सरकार ने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

*****